

**न्यायालय : प्रवीण कुमार सौंधिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर (म.प्र.)**  
**::: संशोधित कार्य विभाजन आदेश वर्ष:-2024:::**

प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 410 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यालय पर पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के मध्य वर्ष 2023 के प्रभावशील कार्य विभाजन आदेश दिनांकित 04.07.2023 में निम्नानुसार संशोधन समाविष्ट किया जाता है:-

**धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन कथन एवं संस्वीकृतियां**

**संशोधित ::: अनुसूची "ब" ::: दिनांक 04.07.2023 में कॉलम नंबर 1, 3 एवं 4 निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।**

.क.	थाना क्षेत्र	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम
1	2	3
01	आरक्षी केंद्र शहर कोतवाली, आरक्षी केंद्र भावगढ़ एवं आरक्षी केंद्र नई आबादी (अभियोक्त्री/पीड़िता के कथन)	सुश्री रुपा मिश्रा, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर
09	संपूर्ण मंदसौर जिले के किशोर न्याय अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले समस्त आरक्षी केंद्र से संबंधित महिला उत्पीड़न सहित अन्य समस्त प्रकरण	सुश्री निकिता वार्ष्णेय, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर

**अनुसूची "ब" ::: दिनांक 04.07.2023 में कॉलम नंबर 4 में श्रीमती लक्ष्मी वास्कले के समक्ष अंकित आरक्षी केंद्र नई आबादी विलोपित किया जाता है।**  
उक्त कार्यविभाजन आदेश दिनांक 13.02.2024 से प्रभावशील होगा।

(प्रवीण कुमार सौंधिया)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
मंदसौर

मन्दसौर, दिनांक 13.02.2024

पृ. क्रमांक:- 164 / 2024

- 01 माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मंदसौर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 02 पुलिस अधीक्षक, मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 03 श्री .....न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मंदसौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 04 जिला अभियोजन अधिकारी, मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 05 थाना प्रभारी, थाना ..... की ओर पालनार्थ प्रेषित।
- 06 सांख्यिकी लेखक, जिला न्यायालय मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 07 प्रवर्तन लिपिक, सी जे एम न्यायालय मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 08 अध्यक्ष अभिभाषक संघ, मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रवीण कुमार सौंधिया)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
मंदसौर